



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्र सं०: 4763-मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2018-2-मा०सं०-03/2016

दिनांक: 22.12.2018

ई-मेल मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक/
मुख्य अभियन्ता,

समयबद्ध/प्राथमिकता

अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह,

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,

अनपरा (सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/मलावन (एटा)।

विषय:- सार्वजनिक उद्यम विभाग के नियंत्रणाधीन निगमों/उपक्रमों में दिनांक: 01 अप्रैल, 2005 से उपरान्त माह नवम्बर, 2018 तक विनियमित किये गये कार्मिकों के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त निदेशक (सा०प्र०), सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या: 3645/ब्यूरो/का०प्र०/2018, दिनांक: 20.12.2018 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके माध्यम से निगमों/उपक्रमों में दिनांक: 01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त माह नवम्बर, 2018 तक विनियमित किये गये कार्मिकों की संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप में तीन दिवसों के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप संलग्न कर प्रेषित करते हुये यह कहने का निदेश हुआ है कि आपकी परियोजना/इकाई पर दिनांक: 01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त माह नवम्बर, 2018 तक विनियमित किये गये कार्मिकों की संकलित सूचना प्राथमिकता पर ई-मेल के माध्यम से उपरोक्त सूचना निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डी० के० शर्मा)

अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-03)

पत्रांक: 4763-मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2018 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता (मा०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य/ईंधन/आर० एण्ड एम०/जानपद/जानपद एवं नव परियोजना/पीपीएमएम/पर्यावरण एवं सुरक्षा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०-01/02/04/05/06), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता/अधिशारी अभियन्ता (रिफार्म/प्रगति/टा०वा०सं०/प्रशिक्षण), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अधिशारी अभियन्ता (डेटाबेस), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

संलग्नक: यथोपरि।

22.12.18

(डी० के० शर्मा)

अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-03)

उपरोक्त सं०/206
सं० नि० लि० / दिनांक 22/12/18

शीर्ष - प्राथमिकता/समयबद्ध

पत्रांक: 3645/ब्यूरो/का0प्र0/2018

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक, (सा0प्र0)
सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0,
242-जवाहर भवन, लखनऊ।

प्रेष्य,

प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
.....
.....

13252
21/12/18

लखनऊ: दिनांक: 20 दिसम्बर, 2018

विषय:-सार्वजनिक उद्यम विभाग के नियंत्रणाधीन निगमों/उपक्रमों में दिनांक 01 अप्रैल, 2005, के उपरान्त माह नवम्बर, 2018 तक विनियमित किये गये कार्मिकों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के संलग्न अर्द्धशा0 पत्र संख्या-5/2018/711/का-2/2018 दिनांक: 04 दिसम्बर 2018, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निगमों/उपक्रमों में दिनांक 01 अप्रैल 2005, के उपरान्त माह नवम्बर 2018, तक विनियमित किये गये कार्मिकों की संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप पर तत्काल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि अपने निगम/उपक्रम में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त माह नवम्बर, 2018 तक विनियमित किये गये कार्मिकों की समूह वार सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप पर कृपया तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

42.49
Dated 21/12/18

Most Urgent

Director (PRA)

प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Pradeep Soni
Company Secretary
20/12/18

SE-03

21/12/18

SOLO-03

22-12-18

भवदीय,

2

(राजीव कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक(सा0प्र0)

GM (HR)

1. Shukla
20/12/18

निदेशक (सा0 प्र0) एवं प्रबन्ध
निदेशक (सा0 प्र0) एवं प्रबन्ध

संख्या 1140/44-1-2018

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव।



शीर्ष. प्राथमिकता/समयबद्ध
अर्द्धशा. पत्र संख्या-5/2018/711/का-2/2018
उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-2
लखनऊ, दिनांक: 04 दिसम्बर, 2018

प्रिय महोदय,

87110-1

आप अवगत है कि सरकार द्वारा समय-समय पर राज्यकर्मियों के विनियमितीकरण हेतु नियमों के अधीन कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये जाते रहे हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझसे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि कृपया 01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त अपने विभाग (नियन्त्रणाधीन निगमों, बोर्डों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं सहित) में माह नवम्बर, 2018 तक विनियमित किये गये कार्मिकों की संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्मिक विभाग को 03 दिनों के भीतर अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट

26/11/18 करे।

L.S.

सभिवादना।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
मुकुल सिंहल

6/12/18

(डा० पी० वी० जगनमोहन) अपर मुख्य सचिव/
अपर मुख्य सचिव
सार्वजनिक उद्यम विभाग प्रमुख सचिव/सचिव, (नाम से)
उ० प्र० शासन

उत्तर प्रदेश शासन।

मुकुल
501
al

श्री. नरेश कुमार
कृपया फाइल में
व्यक्ति के फाइल
दस्तावेज प्राप्त करें।

06.11.18
मुकुल सिंहल
7/11/18

(कृष्ण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

नार्वेजिक उद्यम विभाग शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
इस शासनादेश की प्रमाधिकता वेब साइट <http://shasanadesh.in> पर सत्यापित की जा सकती है।

विनियमित कार्मिकों का विवरण

विभाग का नाम-

क्र.सं.	समूह	दिनांक 01.04.2005 से 30.11.2018 तक विनियमित कार्मिकों की संख्या
1	2	3
1.	क	
2.	ख	
3.	ग	
4.	घ	
योग		